

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.06.2019 द्वारा अधिसूचित सुजानगढ़ के नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार किये गये मास्टर प्लान-2036 का अनुमोदन कर दिया है।

सुजानगढ़ मास्टर प्लान-2036 की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, सुजानगढ़ जिला चूरू के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

—९०—

(नवनीत कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, चूरू।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, सुजानगढ़।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 24.11.2021 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

  
—२५—  
नवनीत कुमार  
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय